



विद्यापरिषद् की 14वीं बैठक की कार्यवाही

दिनांक 17, अप्रैल 2023 को पूर्वान्ह 11:00 बजे सभागार में सम्पन्न विद्या परिषद् की 14वीं बैठक की कार्यवाही में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहें :-

1. प्रो० एन०बी० सिंह, माननीय कुलपति — अध्यक्ष ।
2. प्रो० मनोज दीक्षित, पूर्व कुलपति, डॉ० राम म० लो० अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या । (Online) — सदस्य ।
3. प्रो० सी०के० दीक्षित, विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, डॉ० श०मि०रा०पु०वि०, लखनऊ । — सदस्य ।
4. प्रो० राजीव मनोहर, भौतिक विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ । — सदस्य ।
5. प्रो० मसऊद आलम, संकायाध्यक्ष, कला एवं मानविकी संकायाध्यक्ष/पुस्तकालय प्रभारी । — सदस्य ।
6. प्रो० माहरुख मिर्जा, आचार्य, वाणिज्य विभाग । — सदस्य ।
7. प्रो० सैय्यद हैदर अली, विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग । — सदस्य ।
8. प्रो० चन्दना डे, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय । — सदस्य ।
9. प्रो० एहतेशाम अहमद, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय । — सदस्य ।
10. प्रो० तनवीर खदीजा, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग । (Online) — सदस्य ।
11. प्रो० फखरे आलम, विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग । — सदस्य ।
12. प्रो० सौबान सईद, आचार्य, उर्दू विभाग/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण । — सदस्य ।
13. डॉ० मुशीर अहमद, सह आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग । — सदस्य ।
14. डॉ० प्रवीण कु० राय, विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग । — सदस्य ।
15. डॉ० तत्हीर फातमा, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, सह-आचार्य, गृह विज्ञान विभाग । — सदस्य ।
16. डॉ० जमाल शब्बीर रिज़वी, सह-आचार्य, उर्दू विभाग । — सदस्य ।
17. डॉ० मोहम्मद अकमल, सहायक आचार्य, उर्दू विभाग । — सदस्य ।
18. डॉ० वसी अहमद आजम अंसारी, सहायक-आचार्य, उर्दू विभाग । — सदस्य ।
19. डॉ० पूनम चौधरी, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग । — सदस्य ।
20. श्री अजय कृष्ण यादव, कुलसचिव । — सदस्य सचिव ।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कुलसचिव द्वारा समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर विद्या परिषद् द्वारा बिन्दुवार निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

बिन्दु सं०-1 विद्यापरिषद् की 13वीं बैठक दिनांक 24 जनवरी, 2023 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की 13वीं बैठक दिनांक 24 जनवरी, 2023 की कार्यवाही को सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया गया।

बिन्दु सं०-2 विद्यापरिषद् की 13वीं बैठक दिनांक 24 जनवरी, 2023 की कृत कार्यवाही। (ATR)

परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की 13वीं बैठक दिनांक 24 जनवरी, 2023 की कृत कार्यवाही को सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया गया।



बिन्दु सं०-3

उर्दू विभाग के शोधार्थी श्री मुख्तार अहमद जाहिद की पी.एच.डी. शीर्षक बदलने हेतु उर्दू विभाग की डी.आर.सी. दिनांकित 21-11-2022 का कार्यवृत्त पर विचार।

परिषद् द्वारा सम्बंधित प्रकरण पर गहन विचारोपरान्त विश्वविद्यालय पी०एच०डी० अध्यादेश में उल्लिखित व्यवस्था तथा उर्दू विभाग की डी०आर०सी० बैठक में लिए गये निर्णय के सापेक्ष सम्बंधित शोधार्थी श्री मुख्तार अहमद जाहिद के शोध शीर्षक को बदलने सम्बंधी संस्तुति को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त के अतिरिक्त परिषद् के समस्त सदस्यों द्वारा पी०एच०डी० अध्यादेश में उल्लिखित व्यवस्था के आलोक में शोधार्थी श्री मुख्तार अहमद जाहिद को शोध के नवीन शीर्षक के अनुसार थीसिस (शोध ग्रन्थ) जमा करने हेतु प्रवेश की तिथि से 05 वर्ष का समय दिये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं०-4

सत्र 2023-24 में नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 04-04-2023 के बिन्दु संख्या-1 के क्रम में शिक्षा शास्त्र विभाग में एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

परिषद् द्वारा विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग की अनुशंसा के सापेक्ष विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2023-24 से 50 सीटों के सापेक्ष स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत एम०एड० पाठ्यक्रम आरम्भ करने हेतु समस्त शर्तें पूर्ण करने के उपरान्त संचालित कराये जाने निर्णय लिया गया।

उक्त के अतिरिक्त परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सम्बंधित पाठ्यक्रम से प्राप्त कुल आय का 80 प्रतिशत सम्बंधित पाठ्यक्रम के संचालन में तथा बकाया 20 प्रतिशत आय को विश्वविद्यालय की अन्य मूलभूत सुविधाओं पर व्यय किया जाएगा।

बिन्दु सं०-5

सत्र 2023-24 में नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 04-04-2023 के बिन्दु संख्या-2 के क्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में एम.टेक. (सिविल स्ट्रक्चर) पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

परिषद् द्वारा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत प्रस्तावित एम०टेक० (सिविल स्ट्रक्चर) को सत्र 2023-24 से संचालित कराने सम्बंधी प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं०-6

सत्र 2023-24 में नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 04-04-2023 के बिन्दु संख्या-3 के क्रम में बी.ए. (फाइन आर्ट्स) एवं एम.ए. (फाइन आर्ट्स) पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

परिषद् द्वारा परीक्षा नियंत्रक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सापेक्ष विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2023-24 से 30-30 सीटों के सापेक्ष स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत बी०ए० (फाइन आर्ट्स) तथा एम०ए० (फाइन आर्ट्स) पाठ्यक्रम आरम्भ करने हेतु समस्त शर्तें पूर्ण करने के उपरान्त संचालित कराये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अतिरिक्त परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सम्बंधित पाठ्यक्रम से प्राप्त कुल आय का 80 प्रतिशत सम्बंधित पाठ्यक्रम के संचालन में तथा बकाया 20 प्रतिशत आय को विश्वविद्यालय की अन्य मूलभूत सुविधाओं पर व्यय किया जाएगा।

अग्रेत्तर परिषद् द्वारा निर्धारित सीटों के सापेक्ष अधिक प्रवेश होने की दशा में सीटों की संख्या



को आवश्यकतानुसार बढ़ाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि समिति की संस्तुतियों को कुलपति महोदय से अनुमोदनोपरान्त लागू किया जाएगा।

गठित समिति –

1. अधिष्ठाता-शैक्षणिक।
2. कुलसचिव।
3. परीक्षा नियंत्रक।

बिन्दु सं०-7

सत्र 2023-24 में नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 04-04-2023 के बिन्दु संख्या-4 के क्रम में एम.बी.ए. (फाइनेन्स एवं एकाउंट) पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

परिषद् द्वारा संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय की अनुशंसा के सापेक्ष विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2023-24 से 30 सीटों पर स्ववित्तपोषित योजना के अर्न्तगत एम0बी0ए0 (फाइनेन्स एवं एकाउंट) पाठ्यक्रम आरम्भ करने हेतु समस्त शर्तें पूर्ण करने के उपरान्त संचालन व्यवसाय प्रशासन विभाग के अर्न्तगत वाणिज्य विभाग के सहयोग से संचालित कराये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अतिरिक्त परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सम्बंधित पाठ्यक्रम से प्राप्त कुल आय का 80 प्रतिशत सम्बंधित पाठ्यक्रम के संचालन में तथा बकाया 20 प्रतिशत आय को विश्वविद्यालय की अन्य मूलभूत सुविधाओं पर व्यय किया जाएगा।

अग्रेत्तर परिषद् द्वारा निर्धारित सीटों के सापेक्ष अधिक प्रवेश होने की दशा में सीटों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाने करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि समिति की संस्तुतियों को कुलपति महोदय से अनुमोदनोपरान्त लागू किया जाएगा।

गठित समिति –

1. अधिष्ठाता-शैक्षणिक।
2. कुलसचिव।
3. परीक्षा नियंत्रक।

बिन्दु सं०-8

सत्र 2023-24 में नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 04-04-2023 के बिन्दु संख्या-5 के क्रम में फार्मेसी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 से फार्मेसी से सम्बंधित बी0फार्मा0 तथा डी0फार्मा0 पाठ्यक्रम से सम्बंधित प्रस्ताव तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार स्ववित्तपोषित योजना के अर्न्तगत बी0फार्मा तथा डी0फार्मा पाठ्यक्रम में 30-30 सीटों पर प्रवेश दिये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अतिरिक्त फार्मेसी पाठ्यक्रमों से सम्बंधित विभिन्न संस्थाओं एवं शासन से पत्राचार आदि के सुचारु सम्पादन हेतु परिषद् द्वारा निम्नानुसार शिक्षकों को नामित किया गया-

1. डॉ० ममता शुक्ला, सह आचार्य, बायोटेक्नोलॉजी विभाग – उप निदेशक।
2. डॉ० सुमन कुमार मिश्रा, सहायक आचार्य, कम्प्यूटर साइंस इ० – सगन्तक।

अग्रेत्तर परिषद् द्वारा निर्धारित सीटों के सापेक्ष अधिक प्रवेश होने की दशा में सीटों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि समिति की संस्तुतियों को कुलपति महोदय से अनुमोदनोपरान्त लागू किया जाएगा।

गठित समिति –

1. अधिष्ठाता-शैक्षणिक।
2. कुलसचिव।



3. परीक्षा नियंत्रक।

बिन्दु सं०-9

सत्र 2023-24 में नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 04-04-2023 के बिन्दु संख्या-6 के क्रम में बी.पी.एड. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

परिषद् के सम्मुख प्रो० मसऊद आलम द्वारा अवगत कराया गया कि विषय प्रभारी शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा विभाग में मूलभूत सुविधाएँ न होने के कारण इस समय बी०पी०एड० पाठ्यक्रम संचालित न किया जाने की बात कही गयी है। तत्क्रम में परिषद् द्वारा सत्र 2023-24 से बी०पी०एड० पाठ्यक्रम के संचालन सम्बंधी प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं०-10

प्रो. तनवीर खदीजा द्वारा सत्र 2023-24 में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत तीन वर्षीय बी.ए. पाठ्यक्रम (फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़ एवं जैपनीज़) प्रारम्भ किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर विचार।

विश्वविद्यालय में बी०ए० फ्रेंच पाठ्यक्रम पूर्व से ही संचालित होने के कारण विद्या परिषद् द्वारा विभागाध्यक्ष, अंग्रेज़ी तथा एम०ई०ए०एल० की अनुशंसा के सापेक्ष विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2023-24 से 30-30 सीटों पर स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत बी०ए० (जर्मन, चाइनीज़ एवं जैपनीज़) पाठ्यक्रम आरम्भ करने हेतु समस्त शर्तें पूर्ण करने के उपरान्त संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अतिरिक्त परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सम्बंधित पाठ्यक्रम से प्राप्त कुल आय का 80 प्रतिशत सम्बंधित पाठ्यक्रम के संचालन में तथा बकाया 20 प्रतिशत आय को विश्वविद्यालय की अन्य मूलभूत सुविधाओं पर व्यय किया जाएगा।

अग्रेत्तर परिषद् द्वारा निर्धारित सीटों के सापेक्ष अधिक प्रवेश होने की दशा में सीटों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि समिति की संस्तुतियों को कुलपति महोदय से अनुमोदनोपरान्त लागू किया जाएगा।

गठित समिति –

1. अधिष्ठाता-शैक्षणिक।
2. कुलसचिव।
3. परीक्षा नियंत्रक।

बिन्दु सं०-11

विश्वविद्यालय में संचालित बी.टेक. एवं बी.बी.ए./एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार Multiple Entry and Exit System को लागू किये जाने पर विचार।

परिषद् द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत बी०टेक० एवं बी०बी०ए०/एम०बी०ए० पाठ्यक्रमों में Multiple Entry and Exit System के सापेक्ष पूर्ण प्रस्ताव तैयार करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गयी है-

1. प्रो० कुलदीप सहाय, आई०ई०टी०, लखनऊ। – सदस्य।
2. प्रो० सी०के० दीक्षित, डॉ०श०मि०रा०पु० विश्वविद्यालय, लखनऊ। – सदस्य।
3. प्रो० सौबान सईद, अधिष्ठाता-शैक्षणिक – समन्वयक।
4. प्रो० सैय्यद हैदर अली, विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग – सदस्य।
5. प्रो० संजीव कु० त्रिवेदी, प्रभारी निदेशक, अभि० एवं प्रौ० संकायाध्यक्ष – सदस्य।

AK

AK



बिन्दु सं०-12 गठित समिति द्वारा संशोधित किये गये Ph.D. Ordinance 2023 के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत संशोधित Ph.D. Ordinance 2023 पर विचार विमर्श करने के उपरान्त समस्त सदस्यों द्वारा Ph.D. Ordinance 2023 को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-13 प्रो. मसरूद आलम द्वारा सत्र 2023-24 में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत तीन वर्षीय बी.ए. (पाली) पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर विचार।

परिषद् द्वारा संकायाध्यक्ष, कला एवं मानविकी संकाय द्वारा की गयी अनुशंसा के सापेक्ष विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2023-24 से 30 सीटों पर स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत बी०ए० (पाली) पाठ्यक्रम आरम्भ करने हेतु समस्त शर्तें पूर्ण करने के उपरान्त संचालित कराये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त के अतिरिक्त परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सम्बंधित पाठ्यक्रम से प्राप्त कुल आय का 80 प्रतिशत सम्बंधित पाठ्यक्रम के संचालन में तथा बकाया 20 प्रतिशत आय को विश्वविद्यालय की अन्य मूलभूत सुविधाओं पर व्यय किया जाएगा।

अग्रेत्तर परिषद् द्वारा निर्धारित सीटों के सापेक्ष अधिक प्रवेश होने की दशा में सीटों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि समिति की संस्तुतियों को कुलपति महोदय से अनुमोदनोपरान्त लागू किया जाएगा।

गठित समिति –

1. अधिष्ठाता-शैक्षणिक।
2. कुलसचिव।
3. परीक्षा नियंत्रक।

अन्य बिन्दु माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से।

अन्य बिन्दु-1 संकायाध्यक्ष, कला एवं मानविकी संकाय द्वारा भाषा संवर्धन केन्द्र के सम्बन्ध में प्रेषित प्रस्ताव को परिषद् द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए पुनः सुस्पष्ट प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गयी –

1. प्रो० मसरूद आलम, संकायाध्यक्ष, कला एवं मानविकी संकाय – समन्वयक।
2. प्रो० रजनी रंजन सिंह, शिक्षाशास्त्र विभाग, डॉ० श०मि०रा०पु०वि०वि० – सदस्य।
3. प्रो० वीरेन्द्र सिंह यादव, हिन्दी विभाग, डॉ० श०मि०रा०पु०वि०वि० – सदस्य।
4. प्रो० कविता रस्तोगी, लिंगयुस्टिक विभाग, लखनऊ वि०वि० – सदस्य।
5. डॉ० जमाल शब्बीर रिजवी, सह आचार्य, उर्दू विभाग – सदस्य।
6. डॉ० वसी अ० आजम अंसारी, सहा० आचार्य उर्दू विभाग – सदस्य।
7. डॉ० हारुन रशीद, सहा० आचार्य, अंग्रेजी विभाग – सदस्य।
8. डॉ० अमिना हुसैन, सहा० आचार्य, अंग्रेजी विभाग – सदस्य।

परिषद् द्वारा गठित समिति को “भाषा संवर्धन केन्द्र” के सम्बन्ध में सुस्पष्ट प्रस्ताव एक (01) माह में तैयार कराने के निर्देश दिये गये तथा समन्वयक को समस्त सदस्यों से समन्वय स्थापित कराने के निर्देश दिये गये।



अन्य बिन्दु-2 अधिष्ठाता-शैक्षणिक द्वारा परिषद् के सम्मुख सत्र 2023-24 के प्रास्पेक्टस में अंकित विभिन्न पाठ्यक्रमों में कम प्रवेश होने की सम्भावना से सम्बंधित सीटों की संख्या के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता से अवगत कराया गया।
उक्त क्रम में परिषद् द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें अंकित सीटों की संख्या के सापेक्ष प्रवेश बहुत कम होते हैं, निर्णय लिया गया कि ऐसे समस्त पाठ्यक्रमों को गत वर्षों के प्रवेश का आकलन करते हुए चिन्हित कर आवश्यकतानुसार सीटों की संख्या पुनर्निर्धारण करने के लिये अधिष्ठाता-शैक्षणिक की अनुशंसा पर कुलपति महोदय को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया है।
अन्त में समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विद्या परिषद् की बैठक सम्पन्न हुई।

(अजय कृष्ण यादव)
कुलसचिव/सदस्य सचिव

(प्रो० एन०बी० सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष।